न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 832/2018

1. सुखजीत सिंह पुत्र साधू सिंह
2. बलवीर कौर पत्नी साधू सिंह
3. सतविन्द्र कौर पत्नी जगदीश सिंह
4. सन्दीप सिंह
5. पलविन्द्र कौर } पिसरान जगदीश सिंह
6. मनप्रीत कौर
7. कर्मजीत कौर पुत्री साधू सिंह

अकवाम जटसिख साकिनान लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. मुख राम पुत्र श्योकरण राम जाति जाट निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. रजिराम पुत्र श्योकरण राम जाति जाट निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. विक्रम पुत्र भूपराम जाति जाट निवासी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. ग्राम पंचायत लाधूवाला जरिये सरपंच/सचिव
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 21.01.2019

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान सदर का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है और सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। इसलिये वाद पत्र स्वीकार होने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थीगण वर्तमान अभिलेख के अनुसार खाता संख्या 27/29 के मुरब्बा नम्बर 55 के 1.859 हैक्टर तथा खाता संख्या 40/7 के 1.746 हैक्टर कुल 3.605 हैक्टर कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि किला नम्बर 2 व 3 के मध्य 4 फुट व किला नम्बर 3 व 4 के मध्य 11 फुट, किला नम्बर 4 व 5 के मध्य 10 फुट मे आबादी भूमि से आगे बढे हुये है। यही नही खड़वंजा सड़क भी प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के किला नम्बर 1 में पश्चिम साईड मे 5 फीट बना ली है जो कि

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की प्रश्नगत खातेदारी कृषि भूमि निर्माण करने की फिराक में है। इसलिये ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण करने एवं मौका की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण करने एवं मौका की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे तो जनाब की मेहरबानी होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों को देखते हुए उसके स्वीकार होने की कतई सम्भावना नही है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति नही होने के कारण वाद पत्र व प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की कोई उम्मीद नहीं है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार नही है अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण की एक इंच कृषि भूमि पर भी कोई अवैध चारदीवारी का निर्माण अप्रार्थी संख्या 4 की मिलीभगत के साथ नही किया है, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि की फिरनी में 20 फुट जगह, जो रास्ते के लिये आबादी भूमि के नक्शे में जबसे ग्राम पंचायत की बसावट हुई है, छोड़ी हुई भूमि पर लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व निर्मित खड़वंजा सड़क पर सीमेन्ट के आड़े तिरछे खम्भे रोपकर उन पर रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जिसे हटाने के लिये कई बार प्रार्थीगण को कहा जा चुका है, लेकिन प्रार्थीगण झगड़ालु किस्म के व्यक्ति है। उन द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी बात को कहने का कोई असर नहीं हो रहा है। आबादी भूमि के साथ प्रार्थीगण का मुरब्बा नम्बर 55 में किला नम्बर 11, 12, 13 की भूमि लगती है, जो रिकॉर्ड अनुसार सालम नही होकर कम कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण एंव ग्रामवासियों के साथ झगड़ा व जोर जबरदस्ती करते हुए खम्भे रोपकर तारबन्दी नाजायज और अवैध रूप से आबादी भूमि की फिरनी में जो रास्ते के रूप में कुछ दूरी पर 20 फुट चौड़ाई में तथा कुछ भूमि 28 फुट फिरनी/रास्ते के रूप में आबादी भूमि के नक्शा में दर्ज है, पर कब्जा कर रखा है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि किला नम्बर 1 पर (मुरब्बा नम्बर कोई अंकित नही है) पश्चिमी दिशा में 5 फीट खड़वंजा सड़क का निर्माण नही किया हुआ है और ना ही अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के साथ कोई मकान या प्लाट लगता है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नहीं किया है और ना ही प्रार्थीगण द्वारा कभी अवैध निर्माण रोकने बाबत अप्रार्थीगण से कहा गया, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती करते हुए खुद फिरनी/रास्ते की भूमि पर आड़े तिरछे खम्भे रोपकर अवैध रूप से तारबन्दी कर कब्जा कर रखा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का प्रार्थीगण की किसी भी कृषि भूमि पर कही कोई मकान का या दीवार का निर्माण नहीं करवाया गया। प्रार्थीगण द्वारा गलत तौर पर वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया गया है। गलत पक्षकार बनाये जाने के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थीगण से हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी है।

लगातार

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 गलत व बेबुनियाद होने के कारण स्वीकार नही है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कोई निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई दौरान बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते कथन किया कि वर्तमान अभिलेख के अनुसार खाता संख्या 27/29 के मुरब्बा नम्बर 55 के 1.859 हैक्टर तथा खाता संख्या 40/7 के 1.746 हैक्टर कुल 3.605 हैक्टर कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि किला नम्बर 2 व 3 के मध्य 4 फुट व किला नम्बर 3 व 4 के मध्य 11 फुट, किला नम्बर 4 व 5 के मध्य 10 फुट मे आबादी भूमि से आगे बढे हुये है। यही नही खड़वंजा सड़क भी प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के किला नम्बर 1 में पश्चिम साईड मे 5 फीट बना ली है जो कि पूर्णतया अवैध है, जिसको रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे ताकि प्रार्थीगण को दौरानें दावा होनें वाली नुकसान से राहत मिल सके।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि आबादी भूमि के साथ प्रार्थीगण का मुरब्बा नम्बर 55 में किला नम्बर 11, 12, 13 की भूमि लगती है, जो रिकॉर्ड अनुसार सालम नही होकर कम कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण एंव ग्रामवासियों के साथ झगड़ा व जोर जबरदस्ती करते हुए खम्भे रोपकर तारबन्दी नाजायज और अवैध रूप से आबादी भूमि की फिरनी में जो रास्ते के रूप में कुछ दूरी पर 20 फुट चौड़ाई में तथा कुछ भूमि 28 फुट फिरनी/रास्ते के रूप में आबादी भूमि के नक्शा में दर्ज है, पर कब्जा कर रखा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का प्रार्थीगण की किसी भी कृषि भूमि पर कही कोई मकान का या दीवार का निर्माण नहीं करवाया गया। अतः प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश चाहा गया है, जो निराधार है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम की आबादी भूमि पर बनी सड़क के साथ अपनी खातेदारी भूमि के सम्बंध में स्थगन चाहा गया है। चुँकि भूमि आबादी के चिपती होनें के कारण प्रार्थी का विवाद सीमाज्ञान का है।

प्रार्थी को यदि अपनी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण प्रतित होता है, तो वह पहले अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये तदोपरान्त यदि खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं पाये जानें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर